(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/118819/2021)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3204 /मी0क्षे0/33दिनांक,मीरजापुर,जनवरी, 12 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड (सिंघहवा) से जोगेन्द्रा बाबा खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से **प्रभावित 14.5603 हे0** वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक– 2013/11–सी– FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक– 05.01.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखत कमियो के निराकरण के पश्चात प्रस्ताव 03 प्रतियो में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या –2178/रेनुकूट/15–295 दिनांक 10.01.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियो के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियो में संस्तुति सहित निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 05.01.2022 में इंगित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है। अतः परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों का व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षो की प्रजातिवार/व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है।
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल वनीकरण हेतु उपयुक्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है।
3	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है संलग्न करा दिया गया है।

—2—

4	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–103 से 104 पर संलग्न लीज से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की आवषयकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें तथा ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट भी करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 103 से 104 पर संलग्न लीज से संबंधित प्रमाण–पत्र को प्रस्ताव से पृथक कराते हुए भाग–2 के अतिरिक्त सूचना विवरण से डिलिट करा दिया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली 8.0003 हे0 गैर वनभूमि का क्षेत्रफल एवं खसरा सं0 गलत फीड किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल 8.0003 हे0 एवं खसरा सं0–447 क मि फीड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(1) में सही खसरा संख्या व क्षेत्रफल फीड करा दिया गया है ।
6	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–16 से TSP and Special Plantation APO Format को डिलिट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–16 से TSP and Special Plantation APO Format को डिलिट करा दिया गया है ।
7	तीनों प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः संषोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल की पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल की पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करा दिया गया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एतद्संह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3204 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके कार्यालय संख्या –2178/रेनुकूट/15–295 दिनांक 10.01.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

(रमेश चन्द्र झा) 12.01.22
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर